पाटलीग्राम बिल्डर्स के निदेशकों को 21 से पहले गिरफ्तार करें पटना एसएसपी : रेरा

संवाददाता, पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने पटना एसएसपी को पाटलिग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रभात कुमार रंजन और प्रिया कुमारी की 21 से पहले गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं सदस्य एसडी झा की खंडपीठ ने रेणु देवी एवं वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर एक्जक्यूसन वाद की चल रही सुनवाई में कंपनी के निदेशकों के लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से यह निर्देश दिया. वादी ने प्रमोटर द्वारा परियोजना पूरी न करने के कारण भुगतान किये गये 16 लाख रुपये सूद सहित वापस मांगा था.

इस मामले में डबल बेंच ने 14 अगस्त, 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था. 18 सितंबर 2024 को हुई मामले की अगली सुनवाई में प्रमोटर के वकील पेश हुए और पैसे वापसी के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. बेंच ने समय दिया और सात अक्तूबर 2024 की तारीख तय की. अगली तिथि पर प्रमोटर के वकील ने चिकित्सा कारणों का हवाला देकर एक सप्ताह का समय और मांगा. फिर से समय दिया गया लेकिन अनुपालन नहीं हुआ. 16 अक्तूबर को सुनवाई की तिथि पर प्रमोटर के वकील ने आदेश के अनुपालन के लिए फिर से समय मांगा, जिसे बेंच ने ठुकरा दिया और गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने के लिए पटना के सीनियर एसपी को रिमाइंडर जारी करने का निर्देश दिया.